(54)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ रीवा

म0प्र0 अपील 2222-II-15

रा.अपील कमांक................/

C.F. Rs. 20/-

208
18.6.15

बुद्धि कोल पिता श्री मुजनू कोल उम्र 55वर्ष पेशा मजदूरी निवासी राजेन्द्र नगर गली न.10 सतना, हाल निवासी बगहा तह. रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0.........अपीलार्थी

बनाम

शासन म0प्र0 ....उत्तरवादी

राजस्व द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा44-1 म0प्र0 भू0रा0संहिता1959 विरूद्ध आदेश न्यायालय ~~तहसीलदार~~ अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म0प्र0 द्वारा राजस्व अपील कमांक 276/अपील/14-15 में पारित आदेश दिनांक04.02.2015

श्री .... द्वारा आज दिनांक 18-6-15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 5863
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक........... को प्राप्त
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

अपीलार्थी निम्न लिखित आधार पर अपील प्रस्तुत कर सादर विनयी है किः-

अपील के संक्षिप्त तथ्य

यह कि अपीलार्थी/आवेदक द्वारा कलेकटर महोदय सतना जिला सतना म0प्र0 के न्यायालय में मौजा महदेवा तह.रघुराज नगर जिला सतना म0प्र0 में स्थित आराजी खसरा नम्बर 296/2 एवं 308/2 कुल रकवा 2.14ए. को गैर आदिवासी के हक में विकय करने की अनुमति वावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आराजी विकय की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया था। जिसे कलेक्टर

कमशः...........2पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 2222–दो/2015 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–7–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण कमांक 2 6/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 04–2–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने 3 वर्ष के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई जिसे अपर आयुक्त अवधि बाह्य मानकर निरस्त की है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में लेख किया है कि अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा नि प्रतिदिन विलम्ब का जो कारण बताया गया है कि यह न्यायोचित नहीं है। अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगराधीन आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	